	(4) सहायक आयुक्त के आदेश को, आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उपायुक्त के पास अपील की जा सकेगी।	
	49. (1) यदि प्रशासक की राय में, ग्राम परिषद (क) शक्तियों का दुरूपयोग करता है अथवा (ख) प्रशासक द्वारा ग्राम परिषद को इस विनियम अथवा अस्थायी रूप से लागू कोई अन्य कानून के अनतर्गत दिए गए कर्त्तव्यों को निष्पादित करने में जानबूझ कर और लगातार चूक करना अथवा (ग) ग्राम परिषद इस विनियम के अन्तर्गत उद्ग्राह्य कर की उगाही करने में असफल होता है, अथवा (घ) धारा 47 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बनाए गए सहायक आयुक्त के आदेश का लगातार अवज्ञा करना, प्रशासक आदेश द्वारा सरकारी राजपत्र में ग्राम परिषद को विघटित करने का आदेश प्रकाशित कर सकते हैं । (2) ग्राम परिषद को स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर दिए बिना उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा । (3)यदि उप धारा (1) के अन्तर्गत ग्राम परिषद को विघटित किया गया तो निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जाएगा अर्थात्: (क) ग्राम परिषद के सभी सदस्यों की आदेश में निर्धारित तारीख से सदस्यता समाप्त हो जाएगी, (ख) ग्राम परिषद के विघटन के दौरान ग्राम परिषद के सभी अधिकार और कर्त्तव्यों का प्रयोग प्रशासक द्वारा इसके लिए नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा ।	ग्राम परिषद का विघटन
	50. यदि दो या दो से अधिक ग्राम परिषदों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने पर इसे उपायुक्त के पास भेज दिया जाएगा, इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अंतिम होगा ।	ग्राम परिषदों के बीच विवाद
	51. प्रशासक किसी अधिकारी अथवा ग्राम परिषद के कार्यवाही के रिकार्ड में पारित किसी आदेश की वैधता अथवा औचित्य के लिए जाँच हेतु मांग सकते हैं और जैसा वह सही समझे आदेश में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकते हैं।	प्रशासक कार्यवाही की मांग सकता है